भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2887 का उत्तर

ट्रेनों में मसाज

2887. श्री नितेश गंगा देब:

श्री सु. थिरूनवुक्करासर:

श्री एम. सेल्वराज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में पश्चिम रेलवे ने चलती ट्रेनों में यात्रियों के लिए मसाज की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न वर्गों के कड़े विरोध के कारण पश्चिमी रेलवे द्वारा उक्त निर्णय को वापस ले लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिस अधिकारी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया और बाद में वापस ले लिया गया, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): गैर-किराया राजस्व में वृद्धि करने के लिए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा इंदौर से प्रारंभ होने वाली 39 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों पर "हैड और फुट मसाज" की शुरूआत करने का प्रस्ताव किया गया था।

(ग) से (ङ): आरक्षित कंपार्टमेंटों में रेलयात्रियों की संभावित असुविधा, लिनेन के गंदा होने आदि की संभावना के कारण 14.06.2019 को पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति के अनुच्छेद सं. 6 के तहत आबंटन पत्र को निरस्त कर दिया गया था।

****

mm